रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 1980/ज्येष्ठ 27, 1902
No. 244] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 1980/JYAISTHA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 1980

का. आ. 399(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि उसकी तारीख 5 अक्तूबर, 1979 की अधिसूचना सं. 434/हि.प्र./79(1) में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे, अर्थात् :—

मद 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टि सांख्यांकित 22 के पश्चात्, "23-उप-खण्ड आफिसर सिविल पोंग मुकाम किलार" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ।

[सं 434/हि. प्र./79 (1)]
आदेश से,
अ. कु. चटर्जी, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 1980

S.O. 399(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendment shall be made in its notification No. 434/HP/79(1), dated the 5th October, 1979, namely :—

against item 2-Mandi parliamentary constituency, after the existing entry numbered 22, the entry "23 Sub-divisional Officer (Civil), Pangi at Killar" shall be added.

[No. 434/HP/79(1)]

By order,

A. K. CHATTERJEE, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980